निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 8) पटना, बृहस्पतिवार, 7 जनवरी 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

13 अक्तूबर 2015

सं0 22 नि0 सि0 (मुज0)–06–12/2013/2367—श्री गुंजा लाल राम, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन अवधि के दौरान श्री राजेश कुमार, ग्राम अध्यक्ष, मोतीपुर प्रखण्ड पंचायत समिति, मुजफ्फरपुर से प्राप्त परिवाद पत्र जो तिरहुत नहर प्रमंडल सं0–1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत मोतीपुर एवं जैतपुर आई0 बी0 के कार्यों में बरती गई अनियमितता से संबंधित है, की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 746 दिनांक 18.06.14 द्वारा श्री राम से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछा गयाः–

(i) विभागीय पत्रांक 385 दिनांक 11.09.12 से प्राप्त आवंटन के तहत कार्यों को निविदा के माध्यम से कराने हेतु पर्याप्त समय रहने के बावजूद जान–बूझकर अनावश्यक विलम्ब कर पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 4053 दिनांक 30.07.92 में निहित आदेश के विरूद्ध बिना अभियंता प्रमुख से आदेश प्राप्ति के मूल पद्धति के कार्यों को विभागीय स्तर से कराया गया।

(ii) दोनों निरीक्षण भवन के मरम्मति के दौरान आपके द्वारा निरीक्षण नहीं किया।

श्री राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता से स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त रहने के कारण मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाये गये।

श्री गुंजा लाल राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता से विभाग द्वारा तीन स्मार पत्रो क्रमशः पत्रांक 1436 दिनांक 26.09.14, पत्रांक 111 दिनांक 14.01.15 एवं पत्रांक 1034 दिनांक 11.05.15 द्वारा स्मारित करने के बावजूद भी

स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय पत्रांक 335 दिनांक 11.09.12 से प्राप्त आवंटन के तहत कार्यों को निविदा के माध्यम से कराने हेतु पर्याप्त समय था। परन्तु जान–बूझकर अनावश्यक विलम्ब कर पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 4053 दिनांक 30.07.92 में निहित निदेश के विरूद्ध अभियंता प्रमुख से आदेश प्राप्ति के बिना मूल प्रकृति के कार्य को विभागीय स्तर से कराये जाने का आरोप एवं उपलब्ध तथ्य एवं इनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिये जाने की स्थिति में आरोप प्रमाणित माना गया है। लेकिन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर का कार्यक्षेत्र बड़ा होने एवं निरीक्षण भवन का कार्य गुणवत्ता पूर्ण सम्पादित हो जाने से दोनों निरीक्षण भवन के मरम्मति के दौरान निरीक्षण नहीं करने का आरोप प्रमाणित नहीं माना गया है।

अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

''निन्दन वर्ष 2012–2013''

उक्त निर्णय श्री गुंजा लाल राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर सम्प्रति मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, वीरचंद पटेल पथ, पटना को अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

''निन्दन वर्ष 2012–2013''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 8-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in